12054

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
पासपोर्ट आवेदन फार्म (संख्या 1)

(नए/पुनः जारी/गुम/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने के लिए)
(कृपया अपेक्षित श्रेणी पर सही निशान लगाएं)

अधिकतम मूल्य रू. 10/–

हस्ताक्षर
अथवा
अंगूठे का निशान ⟹

आवेदक अपना हाल ही में खींचा गया 3.5 X 3.5 से.मी. आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो चिपकाएं

कृपया फार्म भरने से पूर्व पासपोर्ट सूचना पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और साफ अक्षरों में केवल नीले/काले बाल पाइंट पेन से फार्म भरें : (चेतावनी : कृपया सही सूचना भरें/गलत सूचना देने पर पासपोर्ट अधिनियम–1967 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार दण्ड का प्रावधान है) फार्म जमा कराते समय कृपया अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

फाइल संख्या .....पुलिस जांच अपेक्षित (हां/नही) ईसीआर/ईसीएनआर

.....
जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

शुल्क राशि, रूपए में | नकद/डी.डी. | बैंक कोड | डी.डी. संख्या | डी.डी. जारी करने की तारीख

1. आवेदक का नाम, जैसा पासपोर्ट में लिखा जाए (आद्यक्षर की अनुमति नहीं है)

उपनाम
दिया गया नाम
(दस्तावेजी प्रमाण सहित)

2. यदि नाम/उपनाम में कोई परिवर्तन किया हो (विवाह के पश्चात अथवा अन्य कारण से) दस्तावेजी प्रमाण सहित, पिछला पूरा नाम/तो कृपया उपनाम बताएं

3. लिंग
पुरूष ☐ स्त्री ☐ अन्य ☐

4. जन्म तिथि : दिन ☐☐ महीना ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
(दस्तावेजी प्रमाण सहित)
शब्दों में .....

5. जन्म स्थान : गांव/शहर, जिला, राज्य, देश (दस्तावेजी प्रमाण सहित)

6. पिता/विधिमान्य अभिभावक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नही हैं)

7. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नही है)

8. यदि विवाहित हैं, तो पत्नी/पति का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नही है)

8. (क) यदि तलाकशुदा/विधवा/विधुर हैं, तो कृपया दस्तावेज प्रमाण सहित श्रेणी बताएं

9. वर्तमान आवास का पता (जहां इस समय रह रहे हैं) कब से रह रहे हैं: .....
(छात्रों के मामले में, कृपया पासपोर्ट सूचना पुस्तिका का खण्ड (iii) देखें)

पि न

दूरभाष नं. | मोबाइल नं.

9. (क) यदि आप वर्तमान पते के आवास पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हैं, तो कृपया पिछले एक वर्ष के दौरान अपने आवास के अन्य पते लिखें

.....से.....तक .....से.....तक

....

....

....

10. पिन कोड सहित स्थायी पता (यदि स्थायी पता वर्तमान पता भी है तो केवल "वही" लिखें)

																					पि	न							

11. नवीनतम/मौजूदा साधारण/राजनयिक/सरकारी पासपोर्टों का ब्यौरा :

(i) पासपोर्ट कार्यालय फाइल नम्बर ..... पासपोर्ट/पासपोर्टों की संख्या .....

(ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थान ..... समाप्ति की तारीख .....

(iii) यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो परन्तु जारी नहीं किया गया हो, तो फाइल संख्या और तारीख दें : .....

(iv) क्या आपका पासपोर्ट पहले कभी गुम/क्षतिग्रस्त हुआ है (यदि हां तो एफ.आई.आर. संलग्न करें और ब्यौरा दें) : .....

.....

11. (क) यदि आप आपात प्रमाण पत्र पर भारत लौटे थे अथवा आपको कभी लौटाया अथवा प्रत्यावर्तित किया गया हो तो कृपया ब्यौरा दें :

आपात प्रमाण–पत्र संख्या, जारी करने की तारीख और स्थान तथा जब्ती ज्ञापन मूल रूप में संलग्न करें : .....

जिस देश से लौटाया/प्रत्यावर्तित किया गया हो उस स्थान और देश का नाम और उसके कारण .....

.....

.....

12. अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षिक योग्यता .....

(ख) स्पष्ट पहचान चिन्ह, यदि कोई हो .....

(ग) ऊँचाई ..... से.मी.

13. क्या आप केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पी.एस.यू./सांविधिक निकाय में कार्य करते हैं ? हां/नहीं
यदि हाँ, तो पहचान प्रमाणपत्र (पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के अनुबंध "ख" के अनुसार) संलग्न करें।

14. क्या आप जन्म से/वंशानुगत/पंजीकरण/नागरिकीकरण रूप से भारत के नागरिक हैं : .....

यदि आपके पास कभी कोई अन्य नागरिकता थी, तो कृपया पिछली नागरिकता बताएं : .....

15. "उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं" की स्थिति? ..... हां/नहीं

(कृपया यह नोट करें कि 10वीं तथा उससे अधिक भौक्षिक योग्यता प्राप्त सभी आवेदक "उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं" के लिए पात्र है)

यदि हां, तो पात्रता श्रेणी बताएं (पासपोर्ट सूचना पुस्तिका का खण्ड (III) देखें) और संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें

.....

16. नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक) के मामले में, यदि माता–पिता दोनों में से **कोई** वैध भारतीय पासपोर्ट धारक हैं अथवा उसके लिए आवेदन किया है तो निम्नलिखित ब्यौरा दें। कृपया संलग्न अनुबंध – ज देखें और भरें :

	पासपोर्ट/फाइल संख्या	जारी करने/आवेदन देने की तिथि और स्थान
माता	.....	.....
पिता	.....	.....

17. (क) क्या यह आवेदन करने की तारीख के ठीक पाँच वर्ष पहले की अवधि में किसी आपराधिक जुर्म के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा आपको किसी समय दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा दी गई है ?

यदि हां तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खण्ड दें: (निर्णय की प्रति संलग्न करें) .....

.....

(ख) क्या भारत के किसी न्यायालय में आपके विरूद्व कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है ?

यदि हां, तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खण्ड दें:

.....

(ग) यदि (ख) का उत्तर 'हां' है, तो कृपया पासपोर्ट की मंजूरी के लिए सक्षम न्यायालय से 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करें :

.....

(घ) क्या आपको पासपोर्ट देने से कभी इन्कार/मना किया गया है? यदि हां तो ब्यौरा दें : .....

.....

(ङ) क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है/वापिस ले लिया गया है? यदि हां तो ब्यौरा दें : .....

.....

(च) क्या आपने कभी किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है/आपको राजनीतिक शरण दी गई है? यदि हां, तो ब्यौरा दें : .....

.....

18. मृत्यु अथवा दुर्घटना होने की स्थिति में सूचित किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा :

नाम : .....

पता : .....

मोबाइल/दूरभाष नम्बर/ई–मेल आई डी .....

19. स्वतः घोषणा :

मुझे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा है और मैंने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है। मैंने भारत की नागरिकता न तो खोई, न इसे अभ्यर्पित किया अथवा न ही मुझे कभी इससे वंचित किया गया है। इस फार्म और संलग्नक में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है, और उसकी सत्यता के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है कि पासपोर्ट अथवा कोई अन्य यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन में झूठी जानकारी देना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अन्तर्गत अपराध है।

मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

तारीख : .....

स्थान : .....

20. संलग्नक :

1. जन्मतिथि का प्रमाण : .....
2. आवास का प्रमाण : .....
3. शैक्षिक योग्यताएं : .....
4. .....
5. .....
6. .....

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

जांचकर्ता का नाम : **हस्ताक्षर/तारीख :**

मंजूरकर्ता का नाम : **हस्ताक्षर/तारीख :**

स्कैनकर्ता का नाम : **हस्ताक्षर/तारीख :**

प्रेशक का नाम : **हस्ताक्षर/तारीख :**

Printed, distributed and supplied by **M/s Jaina Book Agency (Sales), C-9, Connaught Place, New Delhi-110001**
Ph. : 9818097514, 9810569845, 43071055 / 56 /57, Fax : 22152346, 41513850, under authority from Ministry of External Affairs vide VIII/551/9/99 dt. 20.9.1999 read with VIII/875/3/2006 dt. 29.08.2007. Unauthorised printing of this form without approval of Ministry of External Affairs is not acceptable.

वैयक्तिक विवरण फार्म
(दो प्रतियों में)

आवेदक अपना हाल ही में खींचा गया 3.5 X 3.5 से.मी. आकार का रंगीन फोटो हस्ताक्षर करके चिपकाएं

1. पूरा नाम (आद्यक्षर का प्रयोग न करें) : .....

.....

2. लिंग : पुरुष / स्त्री / अन्य : .....
3. (क) क्या आवेदक ने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है? .....

   (ख) यदि हां, तो पिछला नाम : .....
4. जन्म तिथि : ..... 5. जन्म स्थान : .....
6. व्यवसाय : .....
7. (क) पिता : .....
   (उपनाम) (नाम)

   (ख) माता : .....
   (उपनाम) (नाम)

   (ग) पति / पत्नी : .....
   (उपनाम) (नाम)
8. (क) स्थायी पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन सहित .....

   (ख) वर्तमान आवास का पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन और कब से रह रहे हैं? .....

   .....
9. यदि आप कालम 8(ख) में दिये गए पते पर लगातार पिछले एक वर्ष से नहीं रह रहे हैं तो कृपया उन स्थानों के पते और अवधि बताएं जहां इस दौरान रहे हैं (कृपया वैयक्तिक विवरण के फार्म का एक अतिरिक्त सैट दें जिसमें प्रत्येक स्थान का पुलिस स्टेशन सहित पता हो)

   .....से .....तक .....से ..... तक

   ....

   ....
10. **सन्दर्भ** : आवेदक के क्षेत्र से दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आवेदक को प्रमाणित कर सकें:

    (1) नाम, पता और दूरभाष (2) नाम, पता और दूरभाष

    ....

    ....

    ....
11. भारत की नागरिकता : जन्म से ☐ वंशानुगत ☐ पंजीकरण द्वारा ☐ नागरिकीकरण द्वारा ☐
12. पिछला पासपोर्ट / यात्रा दस्तावेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा दें,

    (i) पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज संख्या ..... (ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थान .....

तारीख : .....

स्थान : .....

केवल पुलिस के प्रयोग के लिए

पासपोर्ट संस्तुत : **हाँ / नही**

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

Printed, distributed and supplied by **M/s Jaina Book Agency (Sales), C-9, Connaught Place, New Delhi-110001**
Ph. : 9818097514, 9810569845, 43071055 / 56 /57, Fax : 22152346, 41513850, under authority from Ministry of External Affairs vide VIII/551/9/99 dt. 20.9.1999 read with VIII/875/3/2006 dt. 29.08.2007. Unauthorised printing of this form without approval of Ministry of External Affairs is not acceptable.

पासपोर्ट सूचना पुस्तिका

(आवेदक इस पुस्तिका को भविष्य में सुलभ सन्दर्भ के लिए रखें)

चेतावनी

पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जारी किया जाता है। जानबूझकर झूठी जानकारी देना अथवा जानकारी छिपाना अपराध है जिसके लिए उक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत दण्ड और अन्य कार्रवाई का प्रावधान है। पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। सभी पासपोर्ट धारकों को इस बात का समुचित ध्यान रखना आवश्यक है कि पासपोर्ट न तो क्षतिग्रस्त हो और न ही कटे–फटे और न ही खोए। पासपोर्ट को किसी देश में डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।

पासपोर्ट खो जाने की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन और निकटतम पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी जानी चाहिए। पासपोर्ट धारक, सम्बन्धित पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को पासपोर्ट के खो जाने की जानकारी न देने के कारण पासपोर्ट का दुरुपयोग होने के लिए जिम्मेदार होगा। पासपोर्ट एक सरकारी संपत्ति है और पासपोर्ट जारी करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित में मांगे जाने पर इसे सौंप दिया जाना चाहिए।

I. नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना

खण्ड I – सामान्य जानकारी

1. **आवेदन कैसे करें :** किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन, व्यक्तिगत तौर पर अथवा प्राधिकार पत्रधारी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है (नमूना नीचे दिया गया है)। सभी मूल दस्तावेज दिखाए जाने चाहिए और स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।

सेवा में,
पासपोर्ट अधिकारी,
पासपोर्ट कार्यालय _____

महोदय/महोदया,

मैं एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ निवासी _____ _____ जिसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित किए गए हैं, को मेरी ओर से आवेदन प्रस्तुत करने और मेरी ओर से मेरा पुराना पासपोर्ट लेने और अन्य मूल दस्तावेज लेने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।

भवदीय/भवदीया
(आवेदक के नाम सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत प्रतिनिधि के
साक्ष्यांकित हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रतिनिधि के लिए कुछ पहचान दस्तावेज होने आवश्यक हैं जिस पर उसका फोटो लगा हो। प्राधिकार पत्र के साथ पहचान दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए।

2. **शुल्क और उसके भुगतान का तरीका :** आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सम्पूर्ण शुल्क सम्बन्धित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा नकद भुगतान करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट के मामले में ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का पूरा नाम और आवेदन पत्र संख्या लिखें। संगत खाने में शुल्क के भुगतान के ब्यौरे का उल्लेख किया जाए। यदि शुल्क का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो इसे जारी करने वाले बैंक का बैंक कोड, डिमान्ड ड्राफ्ट सं. और डिमान्ड ड्राफ्ट जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.	10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (36 पृष्ठ) (15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वाले नाबालिगों सहित, जो 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं)	1,000/– रु.
2.	10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (60 पृष्ठ)	1,500/– रु.
3.	नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) का 5 वर्ष की वैधता वाला अथवा नाबालिग के 18 वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, का नया पासपोर्ट	600/– रु.
4.	पासपोर्ट के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में पासपोर्ट की दूसरी प्रति (36 पृष्ठ)	2,500/– रु.
5.	पासपोर्ट के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में पासपोर्ट की दूसरी प्रति (60 पृष्ठ)	3,000/– रु.

पासपोर्ट के पुन: जारी किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय शुल्क वही होगा जो आवेदक की आयु पर निर्भर करता है।

3. **पासपोर्टों की सुपुर्दगी :** पासपोर्ट, आवेदक को ही सुपुर्द किया जायेगा अथवा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जायेगा।

खण्ड II – आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश एवं दिशा–निर्देश

पासपोर्ट आवेदन पत्र मशीन द्वारा पढ़ा जाएगा। इसे कम्प्यूटर पर स्कैन किया जायेगा। अतः निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

• साफ अक्षरों का ही प्रयोग करें। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण को पासपोर्ट में मुद्रित किया जायेगा। अतः कृपया आवेदन पत्र को भरने में सावधानी बरतें और किसी प्रकार की गलती से बचें।	• बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना बॉक्स के भीतर स्पष्ट रूप से लिखें।
• केवल काले/नीले बाल पैन का प्रयोग करें।	• सूचना को दिए गए बॉक्सों की संख्या में फिट करने के लिए समायोजित करें।
• आवेदन पत्र को पैंसिल अथवा स्याही वाले पैन से न भरें	• बाक्स के बाहर कुछ नहीं लिखें। काट छाँट से बचें।
• बॉक्सों को भरते समय प्रत्येक शब्द के पूरा हो जाने के पश्चात कृपया एक बॉक्स को खाली छोड़ दें।	• अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करते समय सभी मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। मूल पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्व–साक्ष्यांकित प्रतियों को संलग्न किया जाना आवश्यक है। अशिक्षित आवेदक, अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर के लिए दिए गए बाक्स में ही अंगूठे का निशान लगाएं। आवेदक के गत एक वर्ष के दौरान एक से अधिक पते पर रहने के मामले में रहने के प्रत्येक स्थान के लिए पासपोर्ट फार्म की दो अतिरिक्त छाया प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।

खण्ड III – आवेदन फार्म को भरने के लिए कालम–वार दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र के आरम्भ में फोटो लगाने, हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने तथा शुल्क के भुगतान का ब्यौरा देने के लिए बाक्स दिए गए हैं।

फोटो : पूरे चेहरे को दर्शाने वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (तीन) आवश्यक है। एक फोटो, फार्म पर चिपकाना होगा और दो फोटो पासपोर्ट फार्म, जिसे दो प्रतियों में भरना है,पर चिपकाने होंगे। **श्याम एवं श्वेत फोटो, रंगीन अथवा काले चश्मे वाले फोटो अथवा सुनिफार्म में, पौलरायड प्रिंट अथवा कम्प्यूटर प्रिंटों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।** फोटो लगाने के लिए बॉक्स में कृपया 3.5 से.मी. x 3.5 से.मी. आकार की आपकी हाल की और एक समान, रंगीन फोटो चिपकाएं। फोटो, बाक्स में पूरी तरह से फिट होना चाहिए और किसी भी स्थिति में फार्म में दिए गए बाक्स से छोटा न हो। बड़ी पुस्तिका के लिए दो अतिरिक्त फोटो आवश्यक हैं।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना पूरी तरह से बॉक्स के भीतर होने चाहिए। अंगूठे का निशान पुरुषों के मामलों में बाएं हाथ का और स्त्रियों के मामले में दाहिने हाथ का होना चाहिए।

कॉलम 1 : नाम (दस्तावेजी प्रमाण के साथ)

आवेदन पत्र में 75 अक्षर का नाम दिया और भरा जा सकता है। पूरा नाम, जैसा पासपोर्ट में लिखा जाए, यहाँ लिखें। उदाहरण के लिए

नाम : वारूर वैकुंटा सुब्रमनियन रामानाथन पिल्लई, उपनाम के लिए दिए गए बॉक्सों में "पिल्लई" उपनाम लिखें और कोमा का चिन्ह लगाएं तथा बाकी कालमों में "वैकुंटा सुब्रमनियन रामानाथन" लिखें। यदि आपका कोई उपनाम नहीं हो तो केवल दिया गया नाम लिखें। आद्याक्षर न लिखें बल्कि पूरा नाम लिखें।

कॉलम 2 : यदि आपने अपना नाम परिवर्तित कर लिया हो तो कृपया अपना पूर्व नाम पूरा लिखें। यह उस व्यक्ति के लिए लागू होगा जिसने मामूली रूप से नाम परिवर्तित कर लिया हो अथवा उस महिला के लिए लागू होगा जिसने अपना नाम/उपनाम विवाह के उपरान्त परिवर्तित कर लिया हो। यदि नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो कृपया लिखें : लागू नहीं।

कॉलम 3 : पुरुष/स्त्री के विकल्प के मामले में कृपया दिए गए बाक्स में यथा लागू पुरुष अथवा स्त्री लिखें। अन्य के लिए कृपया इस बॉक्स में 'एक्स' लिखें।

कॉलम 4 : जन्म तिथि : जन्म की तारीख नगरपालिका/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र में दर्शाये गये अनुसार दिन/माह/वर्ष और शब्दों में भरें। जन्म की तारीख का प्रमाण संलग्न किया जाना है। कृपया संलग्न किए जाने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए खण्ड IV देखें।

कॉलम 5 : जन्म का स्थान और देश : यदि भारत में जन्म हुआ हो तो कृपया गाँव/कस्बा, जिला, राज्य जैसे स्थान के नाम का उल्लेख करें और यदि भारत से बाहर जन्म हुआ हो तो स्थान तथा देश के नाम का उल्लेख करें। यदि भारत विभाजन के पूर्व ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जो अब पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में आता है, तो स्थान का नाम भरने के बाद देश का नाम – "अविभाजित भारत" लिखें।

कॉलम 6, 7 और 8 : संबंधित कॉलमों में पिता, माता तथा पति/पत्नी के नाम की प्रविष्टि करनी है। इन कालमों में उपनाम, यदि कोई हो, दिए गए नामों के बाद का उल्लेख करें। यदि आवेदक अविवाहित है तो कालम 8 में पति/पत्नी के नाम के बारे में मांगी गई सूचना के लिए "लागू नहीं" लिखें।

कॉलम 9 तथा 10 : कृपया दिए गए पते पर निवास करने की तिथि, टेलीफोन नंबर तथा क्षेत्र के कोड नं. के साथ–साथ संगत ब्यौरों का उल्लेख करें जो पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचना अथवा दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किए जाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हैं। इस प्रयोजनार्थ आवेदक को एस.एम.एस. संदेश भेजने के लिए उसका मोबाइल फोन नंबर उपयोगी होगा। यदि कॉलम 9 में दिए गए आवास पर रहने की अवधि, आवेदन करने की तिथि से एक वर्ष से कम है तो कृपया अन्य पतों को प्रस्तुत करें और उन पर रहने की अवधि भी बताएं। अपने माता–पिता से दूर रहने वाले छात्रों के पास अध्ययन करने के स्थान से आवेदन करने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में शैक्षणिक संस्था के प्रिंसिपल/निदेशक/रजिस्ट्रार/डीन से पते के प्रमाण का वास्तविक प्रमाण पत्र होना चाहिए।

कॉलम 11 : कृपया पूर्व धारित पासपोर्ट (पासपोर्टों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें। पिछला पासपोर्ट संख्या अथवा फाइल संख्या के साथ–साथ संगत बॉक्सों में जारी, करने की तिथि और जारी करने के स्थान का यहां उल्लेख करें। यदि पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन किया गया हो किंतु पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ हो/जारी न हुआ हो तो पासपोर्ट के लिए जहाँ आवेदन किया गया था उसकी फाइल संख्या, तारीख तथा स्थान जैसे ब्यौरों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अनुसार तथ्यों के छिपाने पर दांडिक प्रावधान लगाए जा सकते हैं।

कॉलम 11 (क) : यदि कभी सरकारी खर्च पर आपात प्रमाण पत्र के आधार पर भारत की यात्रा की गई हो अथवा कभी भारत लौटाया गया हो अथवा प्रत्यावर्तित किया गया हो तो इस कॉलम में मूल जारी शपन के साथ–साथ आपात प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख और जारी किए जाने का स्थान तथा उस स्थान और देश के नाम का उल्लेख करें जहां से लौटाया गया था अथवा प्रत्यावर्तित किया गया था। यदि आपात प्रमाण पत्र के ब्यौरे तत्काल रूप से उपलब्ध न हों तो कम से कम उस स्थान तथा देश का नाम जहाँ से लौटाया गया अथवा प्रत्यावर्तन किया गया, का ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। ऐसे सभी आवेदक नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित शपथ पत्र में अपने प्रत्यावर्तन/पासपोर्ट की गुमशुदगी की परिस्थितियों के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

कॉलम 12 : संबंधित मदों के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में शैक्षणिक योग्यताएं, स्पष्ट पहचान चिह्न एवं ऊंचाई (से.मी.में) जैसे ब्योरों को प्रस्तुत करें।

कॉलम 13 : दिए गए बाक्स की जगह में 'हाँ' अथवा 'नहीं' के रूप में संगत प्रविष्टि चिह्नित की जानी चाहिए। यदि वह केन्द्रीय / राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों में कार्यरत है तो अनुबंध 'ख' के अनुसार संबंधित कार्यालय से एक पहचान प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

कॉलम 14 : नागरिकता के संबंध में यदि वह जन्म, वंश, पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण से प्राप्त है तो दिए गए बाक्स की जगह में यथा स्थिति जन्म/वंश/पंजीकरण / नागरिकीकरण निकर्ष किया जाना चाहिए।यदि भारतीय नागरिकता के पूर्व कोई अन्य नागरिकता रही हो तो कृपया दी गई खाली जगह में पिछली नागरिकता लिखें।

कॉलम 15 : कृपया यथा लागू 'हाँ' अथा 'नहीं' लिखें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देश छोड़ने से पूर्व ई. सी. आर. के रूप में श्रेणीबद्ध भारतीय नागरिकों को प्राक्टर जनरल आफ एमिग्रैंट्स से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ई.सी.आर श्रेणी के आवेदकों को अपने पासपोर्ट पर ई.सी.आर. की मोहर लगवानी होगी। यदि पासपोर्ट पुस्तिका में ई.सी.आर. मोहर नहीं लगी है तो आवेदक को ई.सी.एन.आर. स्थिति का समझा जाएगा। पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. की कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी। यदि कोई आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आता/आती है और यदि वह इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करता/करती है तो वह ई.सी.एन.आर. स्तर का पात्र होगा/होगी।

वे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ई.सी.आर. मुहर नहीं लगेगी :

(i) (क) राजनयिक/सरकारी पासपोर्टों के सभी धारक।

(ख) सभी राजपत्रित सरकारी सेवक।

(ग) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सभी आयकर दाता (जिनमें कृषि जनित आयकर आदाता भी शामिल हैं) पिछले एक वर्ष के आयकर निर्धारण का प्रमाण तथा वास्तविक आयकर भुगतान का प्रमाण अथवा पैन कार्ड की प्रति पर बल दिया जाना है न कि नाम मात्र के अग्रिम कर का भुगतान। तथापि अधिकांश मामलों में, जैसा कि आयकर विभाग द्वारा अलग से कर–निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाता है, आयकर विवरणियां जो आय कर प्राधिकारियों द्वारा मोहर लगी हों, स्वीकार की जा सकती हैं।

(घ) सभी व्यावसायिक डिग्री धारक जैसे डाक्टर जिनके पास एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा आयुर्वेद में समकक्ष उपाधि अथवा होम्योपैथी में समकक्ष उपाधि, प्रत्यायित पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एकाउंटेंट्स, लेक्चरार, अध्यापक, वैज्ञानिक, एडवोकेट आदि।

(ङ) (ख) से (घ) में सूचीबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे।

(च) मैट्रिक अथवा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति।

(छ) ऐसे नाविक जो सी.डी.सी. अथवा नाविक कैडेट्स, डेक कैडेट्स प्रमाण पत्र धारी हैं।

(i) जिन्होंने टी.एस. चाणक्य, मुम्बई में समुद्री विज्ञान पाठ्यक्रम की तीन वर्षीय बी.एस.सी. की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की है। और

(ii) जिन्होंने शिपिंग मास्टर मुम्बई/कोलकाता/चेन्नई द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा अनुमोदित किसी एक प्रशिक्षण संस्थान जैसे टी.एस.चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एम.टी.आई. (एस.सी.आई.) तथा एन आई पी एम, चेन्नई से तीन महीने का पूर्व–समुद्री प्रशिक्षण लिया हो।

(ज) यूनाइटेड किंगडम, यू.एस.ए. तथा आस्ट्रेलिया जैसे स्थायी प्रवासी वीजा धारक व्यक्ति।

(झ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा धारक व्यक्ति अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे पोलीटेक्नीक्स से तीन वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष उपाधि धारी व्यक्ति।

(ञ) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त योग्यता धारी नर्स।

(ट) 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति।

(ठ) तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे सभी व्यक्ति (तीन वर्ष की अवधि चाहे लगातार रही हो अथवा खंडित रही हो) तथा उनके पति/पत्नी।

(ड) 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे (18 वर्ष की आयु होने पर (पासपोर्ट) पुनः जारी करते समय यदि लागू हुआ तो ई. सी. आर. मुहर लगाई जाएगी।

(ii) बंगलादेश, पाकिस्तान तथा यूरोप में सभी देशों (सी.आई.एस. राज्यों को छोड़कर) उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर की यात्रा करने के लिए कोई उत्प्रवासन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

इस कॉलम के अन्तर्गत दी गई खाली जगह में पात्रता श्रेणी का उल्लेख किया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि ई.सी.आर. पासपोर्ट धारकों को उपर्युक्त से भिन्न देशों में किसी गैर–रोजगार प्रयोजनों के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व प्राक्टर आफ एमिग्रैन्ट्स कार्यालय से अथवा निर्दिष्ट पासपोर्ट कार्यालयों से ई.सी.आर. पृष्ठांकन को हर बार निलंबित कराना होगा। रोजगार प्रयोजनों के लिए ऐसे पासपोर्ट धारकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्राक्टर आफ एमिग्रैंट्स के कार्यालयों से उत्प्रवासन की अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा उन्हें निर्गम पत्तन पर ही यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे पात्र हैं तो ई.सी.एन.आर. के लिए आवेदन करें ताकि उनकी बाधामुक्त विदेश यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह भी स्पष्ट किया जाए कि पासपोर्ट पुस्तिका केवल ई.सी.आर. श्रेणी की मुहर लगी होनी चाहिए और यदि पासपोर्ट पुस्तिका पर ई.सी.आर की मुहर नहीं होगी तो उन्हें ई.सी.एन.आर. स्तर का आवेदक समझा जाएगा।

कॉलम 16 : इस कॉलम में नाबालिग बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, के लिए पहली बार आवेदन करते समय **माता–पिता दोनों अथवा माता–पिता** में से किसी एक द्वारा धारित वैध पासपोर्ट का विवरण संबंधित कॉलम में भरा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में अनुबंध 'ज' में दी गई घोषणा को सादे कागज पर भरा जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में

उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बिना ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि माता–पिता के पास वैध पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे नाबालिगों के आवेदन अनुबंध 'झ' में उल्लिखित शपथ–पत्र के साथ माता–पिता के तीन ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्यौरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड–IV के पैरा ग (ख) में दिए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट पुलिस सत्यापन होने के बाद जारी किया जाएगा। अनुबंध 'ज' के अनुसार सादे कागज पर एक घोषणा प्रत्येक मामले में भरनी होगी। यदि 15 से 18 वर्ष की आयु के वे नाबालिग बच्चे जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे नाबालिगों के आवेदन माता–पिता द्वारा अनुबंध 'झ' में दिए गए मानक शपथ–पत्र और पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड–IV के पैरा ग(ख) में उल्लिखित 14 दस्तावेजों में से कोई तीन जमा करने तथा किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू 36 पृष्ठ के पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात 1000/– रु. के शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें वैसा पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। अन्यथा पासपोर्ट की वैधता पांच वर्षों के लिए अथवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, सीमित होगी। एकल माता–पिता और विवाह होने से पहले उत्पन्न संतान के मामले में अथवा ऐसे माता–पिता के मामले में जो न्यायिक रूप से अलग हो गए हों, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मामले के तथ्यों का उल्लेख होगा, अनुबंध ग के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। **सामान्य स्थिति में** किसी नाबालिग को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए (अनुबंध 'ज') माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर/सहमति आवश्यक है। तथापि, यदि आवेदक माता/पिता के मामले में, माता या पिता में से किसी एक की सहमति **चाहे किस कारण से** प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और अनुबंध 'छ' के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें **आवेदन–पत्र के साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख होगा।** शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार के मुकदमे की स्थिति में वह जिम्मेदार होगा/होगी, न कि पासपोर्ट कार्यालय। ऐसे मामलों में, जहां माता–पिता में से कोई एक आवेदन करता हो, बच्चे की शारीरिक उपस्थिति के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक माता/पिता वास्तविक अभिभावक है।

कॉलम 17 : आवेदक सही सूचना दें। किसी तथ्य को छिपाने से प्रति अपराध 5000/– रु. जुर्माना हो सकता है और समय–समय पर यथासंशोधित पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा लागू अन्य दाण्डिक प्रावधान लागू होंगे।

कॉलम 18 : इस कॉलम में मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचित किये जाने वाले व्यक्ति के नाम और पते और मोबाइल या टेलीफोन नंबर/ई–मेल प्रस्तुत करना होगा।

कॉलम 19 : यह कॉलम आवेदक द्वारा की गयी स्वतः घोषणा के बारे में है जो भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता के प्रति निष्ठा के बारे में है और किसी अन्य देश से नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज आदि स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करने के बारे में नहीं है। इसके अलावा इस कॉलम में आवेदन पत्र में सही सूचना प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा है और यह जानकारी है कि पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी गलत सूचना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत एक अपराध है। आवेदक यह भी घोषणा करता है कि उसके पास कोई अन्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं है। दिये गये स्थान में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (पुरुष के लिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और स्त्री के मामले में दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान) आवेदन की तारीख और स्थान सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कॉलम 20 : उन सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों, जो आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किये गये हैं, की सूची दिये गये खाली स्थान में दी जानी चाहिए और प्रत्येक दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व–साक्ष्यांकित होना चाहिए।

खण्ड IV – आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

यदि आवेदक, आवेदन पत्र स्वयं प्रस्तुत करता/करती है, तो सभी दस्तावेजों की स्व–साक्ष्यांकित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तथापि मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे लौटा दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत न किया गया हो तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य को प्राधिकार पत्र देकर ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता/सकती है। यदि आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है तो मूल दस्तावेजों की प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित कराना होगा।

(क) पासपोर्ट

(1) नये पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की दो–दो प्रतियां संलग्न करें :

(क) पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से एक संलग्न करें) :

आवेदक का राशन कार्ड, प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से लेटर हैड पर प्रमाण–पत्र, पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/चालू बैंक खाते की स्टेटमेंट/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान–पत्र/पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, नाबालिग के मामले में माता–पिता के पासपोर्ट की प्रति। **(टिप्पणी : यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के रूप में केवल राशन कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे उपर्युक्त श्रेणियों में से पते का एक अतिरिक्त प्रमाण इसके साथ संलग्न करना होगा)।**

(ख) जन्म तिथि का प्रमाण (निम्नलिखित में से एक संलग्न करें)

किसी नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक द्वारा अध्ययन के अंतिम स्कूल अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा निरक्षर अथवा अर्ध साक्षर आवेदक द्वारा अनुबंध–क में नमूने के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष लिया गया शपथपत्र जिसमें जन्म तिथि/स्थान का उल्लेख किया गया हो।

टिप्पणी : दिनांक 26.01.89 को अथवा उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के मामले में केवल नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म–मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र स्वीकार्य है।

(ग) नागरिकता के कागजात, यदि आवेदक पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है।

(घ) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों को अनुबंध–झ के अनुसार मानक शपथ पत्र के साथ मूल रूप में "पहचान प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए (अनुबंध–ख)।

(ङ) यदि आवेदक "ई. सी. एन. आर." के लिए पात्र है तो समर्थनकारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें। (आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेशों तथा दिशा–निर्देशों का कॉलम 15 देखें)

(च) यदि आवेदक ने सरकारी लागत पर देश प्रत्यावर्तन किया है तो उस व्यय को दर्शाने के लिए दस्तावेज संलग्न करें कि खर्च की गई राशि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को पूर्ण रूप से वापस की गई है।

(छ) यदि आवेदक को कभी भारत लौटा दिया गया हो तो आपातकालीन प्रमाण पत्र/पासपोर्ट के ब्यौरे दें।

2. **10 वर्ष के पश्चात पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन करना हो तो निम्नलिखित संलग्न करें :**

(क) मूल रूप से पुराने पासपोर्ट के साथ इसके पहले चार तथा अंतिम चार पृष्ठों की स्वयं साक्ष्यांकित की गई फोटो प्रति, जिसमें ई. सी. आर./ई. सी. एन. आर. के पृष्ठ भी शामिल हैं।

(ख) (1) (घ) में उल्लिखित दस्तावेज, यदि लागू हो।

(ग) (1)(ङ) में उल्लिखित दस्तावेज, यदि पुराने पासपोर्ट पर ई. सी. एन. आर. मुहर नहीं हो अथवा वह उस समय जारी किया गया हो जब आवेदक नाबालिग था।

(घ) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो 1(क) में उल्लिखित दस्तावेज।

(ङ) यदि पुराने पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम नहीं है तो अनुबंध–घ में नमूने के अनुसार विवाह के पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अथवा शपथपत्र।

3. **नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित संलग्न करें :**

(क) यथास्थिति माता–पिता/एकल माता–पिता/आवेदक माता–पिता/कानूनी अभिभावक से एक घोषणा जिसमें यथास्थिति अनुबंध –'ज' (सभी नाबालिग आवेदकों के लिए), अनुबंध 'ग' (एकल माता/पिता जो अलग–अलग हैं किंतु औपचारिक रूप से तलाकशुदा नहीं हैं/विवाह होने से पहले जन्मे बच्चे के एकल माता/पिता), अनुबंध 'छ' (जब एकल माता/पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा रहा हो), अनुबंध 'झ' (जब 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच किसी नाबालिग के लिए दस वर्षीय पासपोर्ट की पूर्ण वैधता के लिए आवेदन किया जाता है अथवा जब माता/पिता में से कोई एक जिसके पास अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वैध भारतीय पासपोर्ट न हो) के अनुसार नाबालिग बच्चे के बारे में आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की पुष्टि की गई हो। अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट हेतु आवेदन करने वाले एकल माता/पिता को यथास्थिति अनुबंध 'ग' और अनुबंध 'छ' भरना चाहिए।

(ख) माता–पिता दोनों के पासपोर्ट, यदि कोई हो, की साक्ष्यांकित फोटो प्रति यदि लागू हो।

(ग) ब्यौरों के सत्यापन के लिए माता–पिता के मूल पासपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) यदि माता–पिता में से कोई एक विदेश में रहता हो तो विदेश में रह रहे माता/पिता को भारतीय मिशन द्वारा साक्ष्यांकित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा भारत में रह रहे माता/पिता को भी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : सामान्य रूप से किसी नाबालिग (18 वर्ष की आयु से कम) के लिए पासपोर्ट जारी करने हेतु माता–पिता दोनों की सहमति आवश्यक है। तथापि, यदि किसी कारणवश यह पूर्णरूप से संभव नहीं है तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता नाबालिग की ओर से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें (अनुबंध–छ) और उसी पासपोर्ट पर आवेदन पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि माता/पिता भारत से बाहर रह रहे हों तो लिए गए शपथपत्र, जिसे विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो, में माता/पिता से ली गई ऐसी सहमति स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में जिनमें नाबालिग बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों, माता–पिता दोनों या माता–पिता में से किसी एक द्वारा धारित वैध पासपोर्ट के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके अलावा उन मामलों में जिनमें माता–पिता की पास वैध पासपोर्ट न हो, ऐसे नाबालिगों के लिए आवेदन अनुबंध 'झ' के अनुसार मानक शपथ–पत्र सहित माता–पिता के ऐसे तीन दस्तावेजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्यौरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड IV के पैरा ग (ख) में दिए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चों को पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा। सभी आयु के बच्चों को अलग–अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

तथापि, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 5 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु तक पासपोर्ट की वैधता दी जाएगी। यदि नाबालिग बच्चा 15–18 वर्ष की आयु के बीच है, और 10 वर्ष के लिए पासपोर्ट की पूर्ण वैधता प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध 'ञ' में यथा निर्दिष्ट मानक शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस सत्यापन के बाद तथा माता–पिता द्वारा पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड IV के पैरा ग (ख) में उल्लिखित 14 कागजातों में से किन्हीं तीन कागजात और किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू 36 पृष्ठीय पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात 1000/– रु. के समतुल्य शुल्क की अदायगी पर उसे जारी किया जा सकता है। एकल माता/पिता या ऐसे माता/पिता जो अलग–अलग रह रहे हों किंतु औपचारिक रूप से उनका तलाक नहीं हुआ हो के मामले के अनुबंध–'ग' में उल्लिखित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दत्तक बच्चों के लिए

दत्तक बच्चों के मामले में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं :

(i) भारतीय कानून के अनुसार वैध दत्तक विलेख।

(ii) इसाई, मुसलमान तथा पारसी के मामले में अभिभावकता प्रदान करने वाला और बच्चे को देश के बाहर ले जाने की अनुमति देने वाला न्यायालय आदेश।

(iii) संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पादित गारंटी की प्रति।

(ख) नाम में परिवर्तन

I विवाह, पुनर्विवाह अथवा तलाक के बाद

(क) विवाह के कारण मौजूदा पासपोर्ट में नाम/उपनाम बदलने वाली किसी महिला को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा :

(i) पति के पासपोर्ट, यदि कोई हो, की फोटो प्रति, और

(ii) विवाह पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक साक्ष्यांकित प्रति अथवा पति और पत्नी की ओर से एक शपथ–पत्र जिसमें दोनों का फोटो एक साथ साक्ष्यांकित हो (अनुबंध – घ में दिए गए नमूने के अनुसार)

(ख) मौजूदा पासपोर्ट में पति–पत्नी का नाम बदलने अथवा नाम हटाने के लिए आवेदन करने वाले तलाकशुदाओं को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा।

(i) तलाक डिक्री की प्रमाणित प्रति

(ii) एक पक्षीय विलेख/लिया गया शपथ–पत्र (अनुबंध–ङ)

(ग) नाम/पति/पत्नी का नाम बदलने के लिए आवेदन करने वाले पुनर्विवाहित आवेदकों को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा :

(i) प्रथम पति/पत्नी के संबंध में यथा स्थिति तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र और

(ii) दूसरे विवाह से संबंधित उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कागजात।

II अन्य परिस्थितियों में, नाम बदलने के लिए आवेदक (पुरुष तथा स्त्री दोनों) को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा :

(i) एक पक्षीय विलेख/लिया गया शपथ–पत्र (अनुबंध ङ)

(ii) दो प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों की कतरन (एक दैनिक समाचार पत्र को आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते के क्षेत्र अथवा निकटतम क्षेत्र का होना चाहिए।

(ग) तत्काल स्कीम के अन्तर्गत बिना–बारी के पासपोर्ट जारी किया जाना।

(क) यदि कोई आवेदक तत्काल स्कीम के अन्तर्गत पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध 'थ' में दिए गए नमूने के अनुसार एक सत्यापन प्रमाण–पत्र और अनुबंध 'झ' के अनुसार मानक शपथ पत्र **तत्काल शुल्क** के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सत्यापन प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता का उस अधिकारी से लिखित में सत्यापन कराए जिसने उसे जारी किया है। तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट चाहने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन, दस्तावेज और नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क प्रस्तुत करें। **बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए अतिशीघ्रता के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के सभी मामलों में बाद में पुलिस सत्यापन किया जाएगा।**

(ख) आवेदक को यह भी विकल्प होगा कि नीचे दिए गए अनुसार चौदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करे जिसमें से तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें से हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध–'झ' के अनुसार नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित शपथ – पत्र हो। तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट चाहने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपने आवेदन, दस्तावेज और नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क प्रस्तुत करें।

पहचान और राष्ट्रिकता का प्रमाण (कृपया निम्नलिखित चौदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेज संलग्न करें जिनमें से तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें से हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध 'झ' में दिए गए अनुसार गैर–न्यायिक पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित मानक शपथ–पत्र हो).

(क) मतदान फोटो पहचान पत्र; (ख) राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किये गए सेवा पहचान पत्र; (ग) एस सी/एस टी/ओबीसी प्रमाण–पत्र; (घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; (ङ) आयुध लाइसेंस; (च) संपत्ति संबंधी दस्तावेज जैसे –पट्टा, पंजीकृत विलेख आदि (छ) राशन कार्ड (ज) पेंशन संबंधी दस्तावेज जैसे–पूर्व सैनिक की पेंशन बुक/पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, (झ) रेलवे पहचान पत्र, (ञ) आयकर–पहचान (पैन) पत्र, (ट) बैंक/किसान/डाक घर पास बुक, (ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र, (ड) ड्राइविंग लाइसेंस और (ढ) आर बी डी अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(उपर्युक्त सभी दस्तावेज मूलरूप में स्व–साक्ष्यांकित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे)

तत्काल शुल्क, लागू पासपोर्ट शुल्क के अतिरिक्त होगा और नकद या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। बिना बारी के तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार होगा :

नया पासपोर्ट	1. आवेदन की तारीख से 1–7 दिन के अंदर	1,500/– रु. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
	2. आवेदन की तारीख से 8–14 दिन के अंदर	1,000/– रु. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
डुप्लीकेट पासपोर्ट	1. आवेदन की तारीख से 1–7 दिन के अंदर	2,500/– रु. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
	2. आवेदन की तारीख से 8–14 दिन के अंदर	1,500/– रु. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

10 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने से संबंधित मामले

1. आवेदन की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अंदर	1,500/– रु. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

(घ) ऐसी कंपनियों के स्वामी, भागीदार और निदेशक जो सी आई आई, फिक्की और एसोचैम के सदस्य हैं, को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदकों को अनुबंध 'ञ' के अनुसार मानक शपथ–पत्र के साथ अनुबंध (ञ) में दिए गए अनुसार सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) यदि किसी आवेदक के पास सत्यापन रिपोर्ट और अथवा खण्ड IV के पैरा ग(ख) (क) में यथा उल्लिखित तीन (3) दस्तावेज हैं किंतु तत्काल के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं करना चाहता है तो ऐसे मामले में आवेदकों को पासपोर्ट सामान्य अवधि में पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा।

(च) गुम/क्षतिग्रस्त पासपोर्टों के मामले

आवेदक को पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर उसे निम्नलिखित विलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा :

(i) मूल रूप में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) (ii) पुराने पासपोर्ट का पहला और अन्तिम चार पृष्ठ। (iii) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो पते का प्रमाण।

खण्ड-V शपथपत्र/घोषणा का नमूना

अनुबंध – 'क'

अशिक्षित आवेदकों द्वारा खंड IV के पैरा क (ख) में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ–पत्र का नमूना

(गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा)

मैं _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ वर्तमान निवासी _____ निम्नलिखित अभिकथन करता हूँ, मेरा जन्म _____ राज्य के _____ जिले में स्थित _____ में हुआ। जन्म स्थान और जन्म तिथि के समर्थन में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। मेरे पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। मैं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा/प्रतिज्ञान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं और मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है अथवा झूठा नहीं दिया है।

स्थान _____

दिनांक _____

वर्ष _____ के _____ माह के _____ दिन यह सत्यापित कि मेरे उपर्युक्त शपथ–पत्र की अंतर्वस्तु सत्य एवं सही हैं तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मुझे पढ़कर सुनाई गई।

अभिसाक्षी

साक्ष्यांकित

साक्ष्यांकित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसकी कार्यालय मुहर

टिप्पणी : शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा। नोटरी के मामले में नोटरी – स्टैम्प आवश्यक होगा।'

अनुबंध – 'ख'

केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)

(मूल स्टेशनरी में डुप्लीकेट रूप में दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/श्री _____ (तारीख) से _____ (कार्यालय का पता) के/की _____ अस्थायी/स्थायी कर्मचारी है और वर्तमान में _____ के पद पर कार्यरत हैं। श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी _____ जो श्री/श्रीमती _____ की आश्रित परिवार के/की सदस्य हैं और उनकी पहचान प्रमाणित है। इस मंत्रालय/विभाग/संगठन को उन्हें पासपोर्ट दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधोहस्ताक्षरी इस पहचान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है। मैंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लिया है और प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदक के मामले में ये लागू नहीं होते हैं। मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने की सिफारिश करता हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/सांविधिक निकाय है। श्री/श्रीमती (कर्मचारी) _____ की पहचान पत्र सं. _____ है।

संदर्भ सं. और तारीख

तथा टेलिफोन न.

आवेदक का फोटो प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा

नाम _____

पदनाम _____

पता _____

दूरभाष _____

अनुबंध – 'ग'

नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए माता–पिता दोनों में से किसी एक द्वारा (जो अलग हो गए हैं किंतु उनका औपचारिक रूप में तलाक न हुआ हो) अथवा विवाह होने से पहले जन्मे बच्चे के एकल माता–पिता द्वारा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

(गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

मैं (एकल माता/पिता का नाम) _____ (बच्चे का नाम) _____ जो कि एक नाबालिग बच्चा है, की/का माता/पिता हूँ और उसके पासपोर्ट के लिए मैंने उसकी ओर से आवेदन किया है।

2. मैं _____ (नाबालिग का नाम) की माता/पिता हैं न्यायिक रूप से अलग हूँ

अथवा

मेरे और श्री/सुश्री (नाबालिक बच्चे के/की पिता/माता का नाम) के बीच कानूनी रूप से अब कोई वैध विवाह नहीं रह गया है।

अथवा

_____ (बच्चे का नाम) के/की पिता/माता गर्भधारण/प्रसव के बाद मुझे छोड़कर चले गए/चली गई हैं।

3. _____ (नाबालिग का नाम) अलग होने/प्रसव के बाद से अनन्य रूप से मेरी देख–रेख और अभिरक्षा में है।

तारीख

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर तथा पता

(प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष लिया गया शपथ पत्र।)

अनुबंध – 'घ'

विवाह के पश्चात नाम में परिवर्तन करने के लिए किसी महिला आवेदक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र का नमूना (उसके पति के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला संयुक्त शपथपत्र)

(इसे गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

हम 1. _____ (पत्नी का विवाह पूर्व नाम) _____

2. _____ (पति का नाम) _____

सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार यह घोषणा और प्रतिज्ञान करते हैं कि:

1. हम विवाह अधिनियम/अधिकार/परंपरा _____ के अंतर्गत विवाहित हैं और _____ (विवाह की तिथि) से विवाहित पति–पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं।
2. हमारा विवाह हो जाने के कारण _____ (पत्नी का विवाह पूर्व नाम) अब से _____ नाम (विवाह के बाद नाम) से जानी जाएगी।
3. हमारा संयुक्त फोटो नीचे लगा हुआ है।

तारीख :

अभिसाक्षियों के हस्ताक्षर तथा पता

1. 2.

टिप्पणी :
1. यह शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष लिया जाए।
2. पति–पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ शपथपत्र कागज के बाईं तरफ बिल्कुल नीचे चिपकाया जाएगा और मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से (आधा फोटोग्राफ पर और आधा शपथपत्र पर) साक्ष्यांकित किया जाएगा।
3. जो आवेदक पूर्व में जारी किए गए पासपोर्ट को पुनः जारी करने के संबंध में पति/पत्नी के नाम का पृष्ठांकन करना चाहते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त घोषणा–2 को छोड़ देना है।

अनुबंध – (ड)

नाम में परिवर्तन करने के लिए शपथपत्र/एक पक्षीय विलेख/लिए गए शपथ–पत्र का नमूना

(गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इस विलेख के द्वारा मैं, अधोहस्ताक्षरी..... (नया नाम) पहले ..... (पिछला नाम) से जाना जाता था/जानी जाती थी और ..... (व्यवसाय अथवा पेशा का उल्लेख करें) के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ तथा ..... (पता) का/की निवासी हूँ, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. मैं स्वयं तथा अपनी और से अपनी पत्नी और बच्चे तथा रेमिटर इशू पूर्णरूप से अपने पिछले नाम/उपनाम ..... के प्रयोग का त्याग/अभित्याग/परित्याग करता/करती हूँ और उसके स्थान पर मैं एतद द्वारा आज की तारीख से ..... नाम/उपनाम धारण करता हूँ और मुझे और मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चे और रेमिटर इशू को इसके बाद ..... के धारित नाम/उपनाम से बुलाया जाना जाए और पहचाना जाए, न कि मेरे पिछले नाम/उपनाम से।
2. मेरे ऐसे निश्चय के साक्ष्य स्वरूप मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इसके बाद सदैव सभी रिकार्डों, विलेखों तथा लिखतों में तथा सभी कार्यवाहियों, सव्यवहारों, लेन–देनों में तथा निजी और सभी अवसरों पर अपने पिछले नाम/उपनाम के स्थान पर ..... का अपना नाम/उपनाम का प्रयोग करूँगा/करूँगी और हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी।
3. मैं सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों, और विशेष रूप से अपने संबंधियों, मित्रों को स्पष्ट रूप में प्राधिकृत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे तदनुसार इसके पश्चात उक्त धारित नाम/उपनाम से हर समय मुझे, मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चों को और रेमिटर इशू को नामांकित और संबोधित करें।
4. इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने इसमें और अपने पूर्व और अंगीकृत उपनाम का सत्यापन किया है। वर्ष ..... के ..... माह के ..... दिन को अपने हस्ताक्षर करता हूँ और मुहर यदि कोई हो, लगाता हूँ।

तारीख

निम्नलिखित की उपस्थिति में

उपर्युक्त नाम से हस्ताक्षरित
मुहर तथा परिदत

नाम:
पता:

नाम:
पता:

(इस एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र को मजिस्ट्रेट/नोटरी अथवा विदेश स्थित भारतीय मिशन के कॉंसली अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित और साक्ष्यांकित किया जाए)।

टिप्पणी : नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदक द्वारा दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों (एक उसके निवास स्थान का स्थानीय समाचार पत्र और दूसरा उसके स्थायी पते का स्थानीय समाचारपत्र) में दिए गए विज्ञापन शामिल किए जाने चाहिए और अपने नए नाम से पासपोर्ट का आवेदन करने के समय मूल समाचारपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध – 'ख'

सत्यापन प्रमाण–पत्र का नमूना (केवल तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए)

(सत्यापन प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर)

(अनुबंध–झ) के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ दो प्रतियों में दिया जाए)

आवेदक का फोटो

संदर्भ सं०

सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाला अधिकारी, आवेदक का फोटो अपने हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से इस तरह से साक्ष्यांकित करे कि उसके हस्ताक्षर तथा मुहर आधा फोटो पर तथा आधा प्रमाण–पत्र पर हो।

सत्यापन प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... जिनका व्यक्तिगत ब्यौरा नीचे दिया गया है, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित हैं तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के उपबंधों को पढ़ने के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदक के मामले में ये उपबंध लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ। आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से लगातार रह रहा/रही है।

जन्म–तारीख ..... जन्म–स्थान ..... शैक्षणिक योग्यता .....

व्यवसाय (सरकारी/निजी सेवा/अन्य) .....

स्थायी पता ..... वर्तमान पता .....

स्थान ..... कार्यालय का पता तथा उसका स्थान .....

तारीख

कार्यालय की मोहर

पूरा नाम ..... पदनाम .....

पहचान पत्र सं. ..... (पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

टेलीफोन (कार्यालय) ..... (आवास) ..... मोबाइल सं. .....

टिप्पणी :

1. सत्यापन प्रमाण पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना भी अपेक्षित है और सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी होना अपेक्षित है और उसके हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर इस रूप में हो कि हस्ताक्षर तथा मुहर का आधा भाग फोटो पर तथा आधा भाग प्रमाण–पत्र पर हो।
2. यदि आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थान पर निवास किया हो तो सभी पूर्व पतों तथा संगत तिथियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. यह सत्यापन प्रमाण–पत्र निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए :
   - (i) भारत सरकार का कोई अवर सचिव/उपसचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रीमंडल सचिव।
   - (ii) राज्य सरकार का निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव।
   - (iii) आवेदक के निवास के जिले का कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट।
   - (iv) आवेदक के निवास के जिले का कोई जिला पुलिस अधीक्षक/डी.आई.जी./आई.जी./डी.जी.पी.।
   - (v) थल सेना में मेजर और इससे ऊपर, नौ सेना में ले. कमांडर तथा इससे ऊपर, वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर तथा इससे ऊपर।
   - (vi) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का महाप्रबंधक।
   - (vii) किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा के सभी सदस्य जिनका पद भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष तथा इससे ऊपर है अर्थात जिनका वेतनमान 10,000–15,200 अथवा इससे अधिक है।
   - (viii) सभी राज्य सरकारों के दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्त/अपर रेजिडेंट आयुक्त।
   - (ix) आवेदक जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र की अधिकारिता के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार अथवा संबंधित एस.एच.ओ.।
   - (x) किम्बर्ली, सी.आई.आई. और एसोचैम की सदस्य कंपनियों के स्वामियों, साझीदारों और निदेशकों के संबंध में संबद्ध शीर्ष व्यापार संगठन के अध्यक्ष अनुबंध 'ञ' में निर्धारित प्रोफार्मा में।
4. कोई ऐसा अधिकारी जो गलत सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करता है, के विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है।
5. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) (ग)**

   इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा एक से अधिक आधार पर न कि अन्य आधार पर खण्ड (ग) की उप–धारा 5 के अन्तर्गत विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना कर देगा, अर्थात्
   - (क) आवेदक भारत का नागरिक न हो।
   - (ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हो।
   - (ग) आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो।
   - (घ) आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्री संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो।
   - (ङ) आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा सुनायी गई हो।
   - (च) आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो।
   - (छ) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो।
   - (ज) आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो।

अनुबंध – छ

यदि पासपोर्ट नाबालिग बच्चे के लिए है (माता–पिता में से किसी एक ने सहमति न दी हो) तो आवेदक माता–पिता अथवा अभिभावक की घोषणा : गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाने वाला शपथपत्र का फार्म

मैं / हम _____ सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा एवं प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं और (पासपोर्ट का आवेदन करने वाले माता–पिता / अभिभावक का नाम)

1. मैं / हम _____ जो नाबालिग बच्चा है (नाबालिग बच्चे का नाम) की / के माता / पिता / माता–पिता / अभिभावक हूँ / हैं और उसकी ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।
2. श्री / श्रीमती _____ जो बच्चे के पिता / माता–पिता / हैं, के हस्ताक्षर / की सहमति मैंने निम्नलिखित कारणों से नहीं ली है।
3. केवल मैं / हम _____ (नाबालिग बच्चे का नाम) की देखभाल कर रहा हूँ / कर रहे हैं। यह विशिष्ट रूप से मेरी / हमारी शारीरिक अभिरक्षा में है।
4. मैं / हम यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं कि नाबालिग बच्चे _____ (नाबालिग बच्चे का नाम) का पासपोर्ट जारी किए जाने के कारण उत्पन्न किसी मुकदमे के मामले में
   मैं / हम मामले का प्रतिवाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ / हैं न कि पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी।

तारीख :

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता / पिता / माता–पिता / अभिभावकों के हस्ताक्षर तथा पते

अनुबंध – 'ज'

यदि पासपोर्ट नाबालिग बच्चे के लिए है : सादे कागज पर आवेदक माता–पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं / हम (नाबालिग बच्चे का नाम) _____ पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती _____ जिसका मैं / हम / एकल माता–पिता / आवेदक माता–पिता / अभिभावक हूँ / हैं, के संबंध में ऊपर दिये गये ब्यौरों की पुष्टि करता हूँ / करते हैं। वह भारत का / की एक नागरिक है। उसकी जन्मतिथि / जन्म स्थान _____ हैं। मैं / हम उसके खर्च की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठाने का वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं। मैं / हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि उसने भारत की नागरिकता नहीं खोई है / अभ्यर्पित नहीं की है / से वंचित नहीं है और आवेदन पत्र में उस संबंध में दी गई सूचना सत्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है मैं / हम वैध भारतीय पासपोर्ट (पासपोर्टों) का धारक हूँ / धारक हैं / धारक नहीं हूँ / धारक नहीं हैं और उल्लिखित बच्चे के नाम को दोनों में से किसी भी माता–पिता के पासपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

पिता (हस्ताक्षर) _____ माता (हस्ताक्षर) _____ अथवा _____ विधिक अभिभावक (हस्ताक्षर)

अनुबंध – 'झ'

शपथ–पत्र

(समुचित गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पन्न किया जाए और नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए) (एक मूल तथा एक स्व–साक्ष्यांकित प्रति)

मैं _____ (नाम) पुत्र श्री _____ निवासी _____ जन्म तिथि _____ पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदक होने के नाते एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिज्ञान और अभिकथन करता हूँ :

1. मेरे माता–पिता तथा मेरे पति / पत्नी का नाम इस प्रकार है :
   (i) पिता : (ii) माता : (iii) पति / पत्नी :
2. मैं _____ उपर्युक्त पते पर लगातार _____ से रह रहा / रही हूँ।
3. मैं जन्म / वंश / पंजीकरण / नागरिकीकरण से भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है अथवा न ही अभ्यर्पित की है अथवा न ही मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त हुई है अथवा न ही मैं उससे वंचित हुआ / हुई हूँ।
4. मैं इस शपथ–पत्र की पिछली तिथि के ठीक बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय भारत में किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी करार नहीं दिया गया हूँ जिसमें नैतिक अधमता शामिल है और न ही उसके संबंध में मुझे कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सजा दी गई है।
5. भारत के किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष तथाकथित सच से मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही लंबित नहीं है।
6. तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा मेरी उपस्थिति हेतु वारंट अथवा समन अथवा कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया है और किसी ऐसे न्यायालय के आदेश द्वारा मुझे भारत से बाहर जाने से निषेध नहीं किया गया है।
7. मैं भारत सरकार के खर्च पर कभी भी विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित नहीं हुआ / हुई हूँ / भारत सरकार के खर्च पर विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित हुआ / हुई हूँ किन्तु ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की गई है।
8. मैं विदेश में भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त नहीं होऊंगा।
9. मेरा भारत से बाहर जाना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा।
10. मेरा भारत से बाहर जाना किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्री संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

स्थान : _____

तारीख : _____

अभिसाक्षी : _____

सत्यापन

तारीख _____ को _____ (स्थान) में सत्यापित किया जाता है कि उल्लिखित शपथ–पत्र की अंतर्वस्तु सत्य और सही है तथा इसमें कोई सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी : _____

अनुबंध – 'ञ'

नमूना प्रमाण–पत्र

(शीर्ष व्यापार संगठनों के अध्यक्ष द्वारा संबंधित चैम्बरों की सदस्यता वाली कंपनियों के मालिक, भागीदार अथवा निदेशकों को (मानक शपथ–पत्र जैसा कि अनुबंध 'झ' पर संलग्न है के साथ दो प्रतियों में) दिये जाने के लिए)

(सत्यापन करने वाले प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी)

आवेदक का फोटो

संदर्भ संख्या

(सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं रबड़ स्टैंप आवेदक के फोटो पर इस तरह लगा कर साक्ष्यांकन किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर तथा मोहर का आधा भाग फोटो पर हो तथा आधा भाग प्रमाण–पत्र पर हो)

सत्यापन प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ जिनके वैयक्तिक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, सच्चरित्र एवं प्रतिष्ठित हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लेने के बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये प्रावधान आवेदक के मामले में लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ। आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से निरन्तर रह रहा / रही है।

जन्म तिथि _____ जन्म स्थान _____ शैक्षणिक योग्यता _____

व्यवसाय _____ स्थायी पता _____ वर्तमान पता _____

स्थान _____ कार्यालय पता तथा स्थान _____

दिनांक _____ हस्ताक्षर _____

कार्यालय की मोहर

पूरा नाम _____

पदनाम _____

चैम्बर का नाम _____

टेलीफोन (का.) _____ (नि.) _____ मोबाइल _____

टिप्पणी :

1. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, सत्यापन प्रमाण–पत्र पर भी लगा होना आवश्यक है और सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं स्वाइ स्टैंप के साथ इस प्रकार सत्यापित किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर एवं स्टैंप का आधा भाग फोटो पर हो और आधा भाग प्रमाण–पत्र पर हो।
2. यदि आवेदक गत एक वर्ष के दौरान एक स्थान से अधिक स्थान पर रहा हो तो सभी पूर्ववर्ती पतों का संगत तिथियों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. गलत सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के तहत अभियोग चलाया जा सकता है।
4. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) (ग)**

   इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी किसी दूसरे देश की यात्रा करने के लिए खण्ड (ग) उप–धारा 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना करेगा, नामतः

   (क) आवेदक भारत का नागरिक न हो।
   (ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की सम्भावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हो।
   (ग) आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो।
   (घ) आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्री संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो।
   (ङ) आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा सुनायी गई हो।
   (च) आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो।
   (छ) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो।
   (ज) आवेदक को प्रत्यार्पित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1) (ख) के अंतर्गत सूचना छिपाने के लिए लगाए जाने वाले दण्ड का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	छिपाई गयी सूचना का स्वरूप	शिक्षित आवेदकों के लिए राशि (रु.) में	अशिक्षित आवेदकों के लिए राशि (रु.) में
(i)	यदि आवेदक का नाम माता–पिता के पासपोर्ट पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके माता–पिता के नाम में पृष्ठांकित है।	500/–	शून्य
(ii)	यदि आवेदक का नाम माता–पिता के पासपोर्ट पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके माता–पिता के पासपोर्ट में पृष्ठांकित है।	1000/–	500/–
(iii)	उपर्युक्त दोनों मामलों में यदि माता–पिता के पासपोर्ट की वैधता अवधि पहले की समाप्त हो चुकी है।	कोई जुर्माना नहीं	कोई जुर्माना नहीं
(iv)	यदि आवेदक ने पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो और पासपोर्ट जारी किये बिना ही फाइल बंद कर दी गयी हो अथवा बिना सुपुर्दगी वापस हो गया हो और वैयक्तिक विवरण में कोई परिवर्तन न हुआ हो और आवेदक पूर्व में किये गये आवेदन का उल्लेख नहीं करता है।	1000/–	500/–
(v)	यदि पिछले पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है और सूचना नहीं दी गयी है।	2000/–	500/–
(vi)	यदि आवेदक के पास राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट है और वह साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इसका उल्लेख नहीं करता है।	500/–	500/–
(vii)	यदि अपने स्थायी पते से दूर किसी हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी अपने स्थायी पते वाले क्षेत्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र में साक्ष्य के साथ अपने वर्तमान पते का उल्लेख नहीं करता है।	500/–	500/– (नाबालिग के संबंध में जहाँ माता–पिता अशिक्षित हैं।)
(viii)	यदि आवेदक इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसने पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और यह दावा करता है कि उसे पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ और हालांकि पासपोर्ट "बिना सुपुर्दगी के वापस" का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आवेदक से एफ.आई.आर. के साथ डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है।	2500/– + 2500/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	1000/– + 2500/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)
(ix)	(क) यदि पासपोर्ट में ई.सी.एन.आर./पी.सी.सी. के मुहर अथवा किसी अन्य छाप की धोखाधड़ी की जाती है तो आवेदक का साक्षात्कार लिया जा सकता है और यदि ऐसा किसी एजेंट ने किया है तो उसका नाम और पता लिखित में लिया जाना चाहिए। धोखाधड़ी से किये गये पृष्ठांकन को रद्द करके पासपोर्ट आवेदक को सौंप दिया जाना चाहिए।	5000/–	5000/–
	(ख) यदि आवेदक को दूसरी पुस्तिका की आवश्यकता है तो डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क अथवा 2500 रु. लिया जाना चाहिए।	5000/– + 2500/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	1000/– + 2500/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)
(x)	यदि धोखाधड़ी वाले पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है तो 1000 रु. के साधारण शुल्क के साथ नया पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।	2500/– + 1000/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	1000/– + 1000/– (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)
(xi)	कोई सरकारी सेवक, जो साधारण पासपोर्ट के अपने आवेदन में अपने नियोजन का पूरा ब्यौरा नहीं देता है।	2500/–	2500/–
(xii)	यदि आवेदक सही–सही वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं करता है और उसकी वैवाहिक स्थिति के संबंध में कोई मामला पंजीकृत है।	2500/–	2500/–
(xiii)	यदि आवेदक अपनी जन्म तिथि/जन्म–स्थान (छोटे–मोटे परिवर्तन) के संबंध में गलत सूचना देता है।	1000/–	500/–
(xiv)	मूलवंश वैवाहिक स्थिति/पति/पत्नी का नाम इत्यादि से संबंधित सूचना को छिपाया जाना।	500/–	500/–
(xv)	यदि किसी आवेदक के पास वैध पासपोर्ट है अथवा वैयक्तिक विवरणों को छिपाता है/बदल देता है, अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है और आवेदन में इसकी जानकारी नहीं दी गयी है।	5000/–	2500/–

टिप्पणी :

(i) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12, के तहत कोई व्यक्ति, किसी वैध पासपोर्ट के बिना यात्रा कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करता है या पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों को बदलने का प्रयास करता है, अपना पासपोर्ट निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का उपयोग करता है या जानबूझकर किसी व्यक्ति को जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो 2 वर्षों की अवधि की कैद अथवा 5000/– रु. का जुर्माना अथवा दोनों के द्वारा दंडनीय होगा।

(ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं होते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है या अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना को छिपाते हुए पासपोर्ट प्राप्त करता है या किसी जाली भारतीय पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को धारण करता है, तो 5 वर्ष की कैद और 50,000/– रु. तक के जुर्माने के लिए दंडनीय होगा।

Printed, distributed and supplied by M/s Jaina Book Agency (Sales), C-9, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Ph.: 9818097514, 9810569845, 43071055/56/57, Fax: 22152346, 41513850, under authority from Ministry of External Affairs vide VIII/551/9/99 dt. 20-9-1999 read with VIII/875/3/2006 dt. 29-08-2007. Unauthorised printing of this form without approval of Ministry of External Affairs is not acceptable.